न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 48/2021 राजस्व अपील

1. लल्लूराम पुत्र बिशना जाति बैरवा निवासी ग्राम गुमानपुरा तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय उपतहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 14.08.2018 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम लल्लूराम मुकदमा संख्या 22/2018 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट)

उपस्थिति : श्री जितेन्द्र गंगावत, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 24.05.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की ग्राम गुमानपुरा तहसील बहरावण्डा में स्थित खसरा नम्बर 827 रकबा 0.06 है. चरागाह भूमि पर सम्वत 2075 में अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय कर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास व पेनल्टी की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2018 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानूनी नियम व पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका ही नही दिया जबकि कानूनन पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये। पत्रावली पर अपीलान्ट के पश्चातवर्ती होने का कोई सबूत नहीं होते हुये भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये सजा करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है।

अपीलान्ट ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.06 है. पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया है। उक्त भूमि आज रोज पूर्णतया खाली है एवं अपीलान्ट शपथकर्ता उक्त भूमि पर भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार नहीं करेगा। अपीलान्ट शपथकर्ता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.06 है. भूमि पर आवास व बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2018 के द्वारा अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम गुमानपुरा तहसील बहरावण्डा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.06 है. पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया जाना एवं आज रोज उक्त भूमि पूर्णतया खाली होना तथा भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार नहीं होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम गुमानपुरा तहसील बहरावण्डा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.06 है. पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 14.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा